न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –देवेन्द्र कुमार
- आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 98/2019

1. गिर्राज पुत्र रेवड्या
2. मूलचन्द पुत्र रेवड्या
3. रामकिशन पुत्र कन्हैयालाल
   समस्त जाति मीना निवासी बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा
4. राजेन्द्र पुत्र घासी जाति मीना निवासी नंदेरा तहसील बसवा जिला दौसा
5. तीजा देवी पत्नि रेवड्या
6. मंगलराम पुत्र रेवडया
7. रामखिलाडी पुत्र रेवडया (फौत)
   7.1 रोशनी पत्नि रामखिलाडी
   7.2 कमल कुमार पुत्र रामखिलाडी
   समस्त जाति मीना निवासी बडियाल कलां तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा
   7.3लक्ष्मी पुत्री रामखिलाडी पत्नि महेन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम लांका का बास जिला अलवर
   7.4 माया पुत्री रामखिलाडी पम्नि रामखिलाडी जाति मीना निवासी बजरंग कॉलोनी, दौसा जिला दौसा
   7.5 पूजा पुत्री रामखिलाडी पत्नि भरतलाल जाति मीना निवासी अजरंग कालोनी, दौसा जिला दौसा
   7.6 संजना पुत्री रामखिलाडी पत्नि अरविन्द जाति मीना निवासी बजरंग कालोनी, दौसा जिला दौसा
8. रामकरण पुत्र कन्हैयालाल
9. गोकुल पुत्र कन्हैयालाल
10. छोटेलाल पुत्र कन्हैयालाल
11. उर्मिला पत्नि लालाराम
12. विनोद पुत्र लालाराम
13. राजेश पुत्र लालाराम
14. लक्ष्मण सिंह पुत्र लालाराम
    समस्त जाति मीना निवासी बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा
15. गुलाब पत्नि घासी जाति मीना निवासी ग्राम नंदेरा तहसील बसवा जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई
2. अमरसिंह पुत्र राधाकिशन
3. नरेश पुत्र राधाकिशन
4. हंसा पुत्र परत्या
5. रामेश्वर पुत्र परत्या
   समस्त जाति गुर्जर निवासी भैदोडी गूजरान तहसील बसवा जिला दौसा
6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, रावत पैलेस के पीछे, दौसा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र (याचिका) अन्तर्गत धारा 3 जी (5) एवं 3 एच(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम बाबत निरस्त करने आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.एम.बांदीकुई दिनांक 8.3.2019 जो प्रकरण सं0 29/2019 पर भूमि खसरा नंबर 733 से 737, 742 से 746 वाके ग्राम भेदाडी बाबत पारित किया गया है।

उपस्थिति– 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थी सं0 1 से 03की ओर से

2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता प्रार्थी सं0 05 से 6 व 7.1 से 7.6 , एवं 8 से 15 की

3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

4. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 से 05 की ओर से।

5. श्री राकेश कुमार धनकड, श्री रामकुमार तिवाडी अप्रार्थी सं0 6 की ओर से।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः 31.01.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारापारित निर्णय दिनांक 08.03.2019 जो कि प्रकरण सं0 29/2019 पर भूमि खसरा नंबर 733 से 737, 742 से 746 वाके ग्राम भेदाडी पर पारित किया गया है से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को संयुक्त रूप से दोहराते हुए बहस में कथन किया कि एन.एच.148 एन में अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में राजपत्र भारत सरकार ने जारी अधिसूचना दिनांक 30.1.2019 एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 22.2.2019 के जरिये खसरा नंबर 733 से 737, 742 से 746 वाके ग्राम भेदाडी गूजरान में ा अवाप्त की जा रही 1.9403 है. भूमि के प्रार्थीगण व अन्य लोग खातेदारान व काबिज काश्तकारान है। उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान प्राप्त करने के अधिकारी है किन्तु अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 व अन्य ने जो कि ना तो खातेदारान हैं और ना ही उनका उक्त भूमि से कोई ताल्लुक व वास्ता है किन्तु उक्त लोगों ने निहायती झूंठे आधारों पर एक दावा दिनांक 6.3.2019 को उनवानी हरसहाय बनाम गिर्राज का उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और उक्त दावें की नकल पेश कर दी और एक आपत्ति प्रस्तुत कर दी कि उक्त भूमि का किसी को मुआवजा जारी नहीं किया जावे। जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने बिना प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को सुने बिना व बिना कोई जांच किये दिनांक 8.3.2019 को वाद के निस्तारण तक किसी भी खातेदारान व पक्षकारान को मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई के द्वारा पारित आदेश सामान्य न्याय के सिद्धान्त व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुंई ने उक्त आदेश बिना प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को सुने बिना व बिना कोई जांच किये पारित किया गया है। कानूनन प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का पूर्ण मौका देकर के कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं करके और अपना आदेश पारित करने में भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय निरस्तनीय है। भूमि खसरा नंबर 733 से 737, 742 से 747 वाके ग्राम भेदाडी गूजरान से अप्रार्थी सं. 2 से 5 व अन्य आपत्तिकर्ताओं का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है ना ही उनका कब्जा है। मात्र प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को परेशान करने के उद्देश्य से दिनांक 6.3.2019 को निहायती झूंठे आधारों पर दावा पेश करके उक्त आदेश पारित करवाया है जो निरस्तनीय है। भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई को वाद के निस्तारण तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर,दौसा

मुआवजा भुगतान नहीं करने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। प्रथम तो भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई को स्वयं को आपत्ति की विधिवत जांच करनी चाहिए थी और आपत्ति को जांच करने के बाद यदि दोनों पक्षों में कोई मुआवजा संबंधी विवाद पाते तो सिविल न्यायालय को रैफर करना चाहिए था, किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई ने ऐसा नहीं करके वाद के निस्तारण तक भुगतान नहीं करने का आदेश देकर कानूनी गलती की है। अतः निर्णय निरस्त योग्य है। अवाप्त की जा रही भूमि के प्रार्थीगण खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि से अप्रार्थी सं0 2 से 5 का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। मात्र झूंठे आधारों पर दावा पेश करने के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी को ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु फिर भी वाद के निस्तारण तक भुगतान रोकने का आदेश देकर कानूनी गलती है है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.3.2019 जो प्रकरण सं0 29/2019 पर भूमि खसरा नंबर 733 से 737, 742 से 746 वाके ग्राम भेदाडी बाबत पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को दिलवाया जावे। यदि श्रीमान प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान को मुआवजा दिलवाना उचित नहीं समझें तो भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई को आदेश फरमावें कि वह विधिक जांच कर संबंधित संबंधित खातेदारान को मुआवजा देवें तथा कोई विवाद पाया जावे तो सिविल कोर्ट को रफैरेन्स बनाकर निर्णय हेतु भेजने के आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 5 ने बहस में कथन किया कि धारा 3 जी(5) एवं 3एच(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तीत केवल मात्र मुआवजा राशि के निर्धारण के संबंध में ही आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर द्वारा केवल राशि के संबंध में ही सुनवाई की जा सकती है। पक्षकारों के मध्य मुआवजे प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित यदि कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है ना कि आर्बिट्रेटर को। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में जब तक न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहता है तब तक मुआवजा प्राप्त करने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा रोक लगाई जा सकती है तथा प्रकरण के निस्तारण के बाद ही मुआवजा राशि दी जा सकती है। श्रीमानजी के न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। ग्राम भेदाडी गूजरान में स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 241 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 242 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 243 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा थाजिसकी जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उप कृषक के कॉलम में अप्रार्थी सं0 2 से 5 एवं अन्य पक्षकारों के पूर्वजो छाजू पुत्र मुकन्दा हि.1/4, सुंदर पुत्र हरजी व हेता पुत्र खवानी हि.1/4, बाला, मंगला, गंगाधर परता पि. मांग्या हि. 1/4, भोंरया पुत्र मूल्या हि.1/4 दर्ज राजस्व रिकार्ड था जिसके अनुसार अप्रार्थीगण सं0 2 से 5 व अन्य पक्षकारान उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगणों के पूर्वजों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व गिरदावरी तथा नामान्तरण में हो रहा है जिसके बाबत ही वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष विचाराधीन है और इसी आधार पर भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई द्वारा राशि प्राप्त करने पर रोक लगाई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 6 ने बहस में कथन किया कि उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा उनवानी प्रकरण हरसहाय बनाम गिर्राज वगै0 में पारित आदेश दिनांक 8.3.2019 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।उक्त आदेश द्वारा संबंधित पक्षकारों को मुआवजा राशि का भुगतान उक्त वाद लंबित रहते नहीं किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) एवं 3 एच (4) के अंतर्गत यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कानूनन कोई अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। उक्त धारा के अंतर्गत केवल मात्र माननीय न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई किये जाने का अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद को सुनने एवं निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है तथा इस आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के आधार पर सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत याचिका के अवलोकन से सिद्ध होता है कि अवाप्तशुदा भूमि के हितबद्ध पक्षकारों के मध्य स्वामित्व को लेकर विवाद है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्वामित्व का निर्धारण नहीं होने की स्थिति में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामित्व का निर्धारण कर दिये जाने के पश्चात ही देय होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के स्वामित्व का निर्धारण कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी सं0 6 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

8. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 3 जी(5) एवं 3 एच(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम केग अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है जो कि इस प्रकार है:–

9- 3G. Determination of amount payable as compensation.—
(1) Where any land is acquired under this Act, there shall be paid an amount which shall be determined by an order of the competent authority.
(2) Where the right of user or any right in the nature of an easement on, any land is acquired under this Act, there shall be paid an amount to the owner and any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such acquisition an amount calculated at ten per cent, of the amount determined under sub-section (1), for that land.
(5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government.

10. 3H (4) If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part thereof or to any person to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the 4 dispute to the decision of the principal civil court of original jurisdiction within the limits of whose jurisdiction the land is situated.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

10. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण द्वारा निम्न अनुतोष चाहा जा रहा है:–

- उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.3.2019 को निरस्त किया जावे एवं भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों को दिया जावे अथवा
- भूमि अवाप्ति अधिकारी को आदेश दिया कि वह विधिक जांच कर संबंधित खातेदार को मुआवजा दिया जावे एवं यदि विवाद की स्थिति हो तो प्रिसिपल सिविल न्यायालय को रैफरेन्स बनाकर भेजा जावे।

11. उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8.3.2019 में किसी भी प्रकार के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी(5) के तहत यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे का निर्धारण कर दिया जाता है एवं उसमें किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह उक्त धारा के अंतर्गत आर्बिट्रेशन में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास पीडित पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किन्तु इस प्रकरण में किसी भी प्रकार के मुआवजे का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

12. साथ ही प्रार्थीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा जा रहा है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि वह यदि मुआवजा निर्धारण करने में असमर्थ है तो प्रकरण प्रिसिपल सिविल न्यायालय को रैफरेन्स बनाकर भेजा जावे। यह अनुतोष भी धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के स्कॉप से परे है। धारा 3 एच (4) के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को नहीं है।

13. अतः हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं चाहा जा रहा अनुतोष धारा 3 जी (5) एवं 3 एच (4) के अंतर्गत नहीं आने के कारण अस्वीकार्य योग्य समझते है।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुंई का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के भीतर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested